46

Before Board of Revenue Moti Mahal Gwalior

Case number............ /2018

III/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/0381

Applicant- **Romesh Gupta S/o Shri KK Gupta,**
Age about 41 years,
R/o- Near Jasram Station Road Housing Board Colony Tehsil Badhargad District Umaria MP.

श्री विजय सिंह कुशवाह 11-1-18 को प्रस्तुत। ... दिनांक 18-1-18 ...। राजस्व मण्डल, म.प्र. ... 18

Versus

Respondent - **The State of MP**

Noted 18-1-18

Revision under section 50 of MPLRC 1959

Respectfully Sheweth,
The humble applicant / revisionist submits as under-

1- That, an application had been preferred by the applicant before district Collector Umaria on dated 25-02-2012 for the purpose of allotment of the land of 3254 square feet of the revenue Kasara number 1776 / 1 by changing the land use because of the land in question is muted in land record as a "Khal- Khader", while the land in question is not being used for the purpose of leather extraction since last so many years. He also pleaded that there are several persons are residing around the said land, but due to muted the land in revenue record as a "Khal- Khader" the land in question is not being allotted on lease to the applicant, if the word "Khal- Khader" is deleted from the revenue record then it could be released and he prayed that to allowed the land in question to the applicant by changing its land use. The copy of the aforesaid application is annexed herewith and mark as **Annexure A/1.**

2- That, the application of **Annexure A/1** was consider and proceeding has been initiated by the Court of Collector by giving the number 03-अ-59/2012 x 2013 and SDO was directed to enquire into the matter according to law and was directed to submit the enquiry report. Where, SDO was directed to Tahsildar Bandhavgad and Tehsildar was published notice and invited the objection from the publics, but no objection was made by anyone. Similarly, the Chief Minister Council Umariya furnished his NOC, vide letter dated 01-10-2012 panchnama was prepared at the spot but without considering facts and circumstances the

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–दो / निग. / उमरिया / भू.रा. / 2018 / 0381

रोमेश गुप्ता विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–09–18 1/2 24.9.18 C.N.	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 20.09.2018 को आवेदक रोमेश गुप्ता के अधिवक्ता श्री सूरज प्रताप द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी आवेदन को ग्राहयता पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर उमरिया के प्र0क्र0 03/अ–59/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में ग्राहयता के संबंध में वही तर्क दोहराये है जो निगरानी मेमों में प्रस्तुत किये है। 4/ अपर आयुक्त ने प्र. क्र. 89/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के द्वारा कलेक्टर, जिला–उमरिया के राजस्व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 03/अ–59/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 को स्थिर रखते हुये आवेदक का आवेदन ग्राहयता के स्तर पर ही अग्राहय किया गया है। 5/ आवेदक के अभिभाषक का प्रमुख तर्क है, कि कलेक्टर उमरिया के समक्ष ग्राम छटन कैंप स्थित आराजी खसरा नंबर 1776/1 रकबा 7.16 एकड़ भूमि शासकीय नजूल भूमि है । उक्त आराजी खसरा नंबर 1776/1 रकबा 7.16 एकड़ भूमि के अंश रकबा 3245 वर्गफीट का लीज आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर उमरिया ने यह मानकर कि प्रश्नाधीन भूमि खाल खद्दर	

निकालने के लिये सुरक्षित है, लीज आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है। शहरी क्षेत्र के अन्दर खाल खद्दर भूमि शहर की 05 कि.मी. सीमा तर्क दर्ज नहीं किया जाना चाहिये । कलेक्टर ने गलत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

6/ मेरे द्वारा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 28.11.17 का अवलोकन किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि नजूल क्षेत्र अंतर्गत खाल खद्दर शासकीय नजूल भूमि दर्ज है। पूर्व से सुरक्षित निस्तार पत्रक की भूमियों का नोईयत परिवर्तन की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

7/ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक 1057 (2578) (आठ) –64, दिनांक 18.05.1965 में भी यही निर्देश दिये है कि नगर पालिका क्षेत्र से 05 कि.मी. क्षेत्र की भूमियॉ जहॉ नजूल दर्ज न हो वहॉ नजूल दर्ज किया जावे । प्रश्नाधीन भूमि नजूल के रूप में दर्ज है तथा खाल खद्दर के लिये सुरक्षित है। निस्तार पत्रक की भूमि का लीज दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। भूमि आवंटन हेतु कलेक्टर/शासन को मजबूर (Compel) नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के द्वारा ऐसा कोई शासन का आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह विदित हो कि आवेदक के पक्ष में ऐसी भूमि का आवंटन किया जाना आवेदक का अधिकार है।

2/2

8/ अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रकट न होने के कारण निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

9/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

24.9.18

(आर.के. जैन)
सदस्य

CH